

8-11-17

दोनों पक्षों के दलील उपस्थित

दोनों पक्षों ने प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को दलील की ही गई। किमान प्रमाण उपस्थित नभू, दिनांक 14-11-2017 को प्रेषित किया।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

14-11-2017

प्रमाणों पर ध्यान

दोनों पक्षों के दलील उपस्थित

दोनों पक्षों ने दिनांक 8-11-2017 को प्रार्थना पत्र में नए उक्त प्रकृष्टता की सं. 50/2002 समसिद्ध 1/5 अंश माल के साथ कन्सोलिडेट करने वाले हेतु प्रेषित किया। प्रिन्सिपल आगे प्रकृष्टता दलील को ही गई।

प्रार्थना दलील प्रमाण न देकर वह प्रमाण चाहते हैं दोनों पक्षों को प्रकृष्टता में प्रार्थना दलील को उक्त पत्र कन्सोलिडेट करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह प्रमाणों पर ध्यान संख्या 50/2002 के साथ कन्सोलिडेट की जाकर इस प्रमाणों की कार्यवाही कर दी जाती है।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा